सं० 15/व6-100/83/शि० 1479
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग

प्रेषक,

श्री अकील अहमद,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

कुलसचिव,
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 10 दिसम्बर, 85

विषय:- प्रस्तावित मजहरूल हक डिग्री महाविद्यालय, तरवारा (सीवान) को बी०ए० एवं बी०कॉम (पास) स्तर के संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक बी/757 दिनांक 8-2-85 के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने मजहरूल हक डिग्री महाविद्यालय, तरवारा (सीवान) को सत्र 1985-86 से दो सत्रों के लिये बी०ए० एवं बी०कॉम (पास) स्तर का अस्थायी संबंधन, विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित विषयों एवं शर्तों के आधार पर [illegible] देने के प्रस्ताव में सहमति प्रकट करने की कृपा किया है।

विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित विषय

बी०ए० (पास) :- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, मैथिली, भोजपुरी, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा वाणिज्य ग्रुप।

2. निदेशक (उच्च शिक्षा) को यथा सूचना दे दी गयी है।

विश्वासभाजन,

ह०/- (अकील अहमद)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार

ज्ञापांक 1479 पटना, दिनांक 10 दिसम्बर, 85

प्रतिलिपि निदेशक (उच्च शिक्षा), बिहार, पटना/ सचिव, कॉलेज सेवा आयोग, पटना/ प्रधानाचार्य, मजहरूल हक महाविद्यालय, तरवारा, सीवान/ एवं श्री अर्जुन सिंह, [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित।

(अकील अहमद)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

पत्रांक -15/व6-0100/0330 शि0-
बिहार सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग ।

प्रेषक,

श्री ठाकुर श्यामानन्द,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार ।

सेवा में,

(1) कुल सचिव,
डा0 बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।
(2) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा ।

पटना, दिनांक- मार्च, 94 ।

विषय:- सी0डब्ल्यू0जे0सी0नं0-5277/92 मजरूल हक डिग्री महाविद्यालय, तरवारा सिवान को स्नातक कला एवं वाणिज्य स्तर में स्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-बी/2306 दिनांक 14-12-92 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने मजरूलहक डिग्री महाविद्यालय तरवारा, सिवान को पूर्व में बी0ए0 तथा बी0 कॉम पास स्तर अस्थायी संबंधन/स्थायी संबंधन दिये जाने के प्रस्ताव में सहमति प्रदान करने की कृपा की है ।

2. निदेशक(उच्च शिक्षा) बिहार को सूचित कर दिया गया है ।

विश्वासभाजन,

ह0/- (ठाकुर श्यामानन्द)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार ।

ज्ञापांक- 1411

पटना, दिनांक- 9 मार्च, 94 ।

प्रतिलिपि निदेशक(उच्च शिक्षा), बिहार/सचिव, बिहार कालेज सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, मजरूलहक डिग्री महाविद्यालय, तरवारा, सिवान/श्री एस0एम0 आलम सरकारी अधिवक्ता संख्या-8 माननीय उच्च न्यायालय पटना, सी0डब्ल्यू0जे0सी0नं0-5277/92 के प्रसंग में एवं प्रशाखा-14 एवं 15 /श्री जावेद सहायक, प्रशाखा-14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ठाकुर श्यामानन्द)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार ।
9.3.94

पत्र संख्या 14/स 1–21/97
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

पटना, दिनांक-- **2010**

विषयः– मजरूल हक डिग्री महाविद्यालय, तरवारा सिवान को स्नातक कला एवं स्नातक वाणिज्य स्तर का स्थायी संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके **पत्रांक 726** दिनांक 28.08.02 के **प्रसंग में निदेशानुसार** कहना है कि राज्य सरकार ने मजरूल हक डिग्री महाविद्यालय तरवारा, **सिवान को** विश्वविद्यालय के अनुशंसा के आलोक में स्नातक कला एवं स्नातक वाणिज्य प्रतिष्ठा स्तर का इस सहित निम्नांकित विषयों में स्थायी संबंधन प्रदान करने की कृपा की है:–

क्र0	संकाय/स्तर	विषय	शैक्षणिक सत्र
1	2	3	4
01	स्नातक कला प्रतिष्ठा स्तर	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत 4. उर्दू 5. इतिहास 6. राजनीतिशास्त्र 7. दर्शनशास्त्र 8. भूगोल 9. मनोविज्ञान 10. गृह विज्ञान 11 संगीत 12. मैथिली 13. भोजपुरी 14. प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति	वर्तमान सत्र 2009–10 से स्थायी संबंधन
02	स्नातक वाणिज्य (ग्रुप) प्रतिष्ठा स्तर	वाणिज्य ग्रुप के सभी विषयों में	वर्तमान सत्र 2009–10 से स्थायी संबंधन

2. उपर्युक्त संबंधन विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21.11.08 से अच्छादित होगा।

3. निदेशक (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार को सूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

D:\Ranjeet latter.doc

ज्ञापांक 15 [illegible] 07 [illegible] पटना दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि — निदेशक (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार / प्राचार्य, [illegible]ल हक डिग्री महाविद्यालय तरवारा सिवान / प्रशाखा पदाधिकारी 15, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

(5)(i)

पत्रांक-14/स 1-21/97
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

कुलसचिव,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा।

पटना, दिनांकः-

विषयः मजहरूल हक डिग्री महाविद्यालय, तरवारा (सीवान) को स्नातक कला के शेष विषयों एवं स्नातक विज्ञान विषयों में स्थायी संबंधन देने एवं संलग्न विवरणी के अनुसार शिक्षकों का पद-सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 726 दिनांक 28.08.02 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने मजहरूल हक डिग्री महाविद्यालय तरवारा (सीवान) को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक मे स्नातक कला एवं स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा स्तर का निम्नलिखित विषयों में इन्टर रहित स्थायी संबंधन के प्रस्ताव में सहमति प्रदान करने की कृपा की है:-

संकाय	विषय
कला स्नातक प्रतिष्ठा स्तर	अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण।
विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा स्तर	भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र ।

शिक्षकों का पद-सृजन निम्नलिखित प्रकार से की जाती है:-

शिक्षकों का पद-सृजनः-

क्र0	विषय	पदों की संख्या
(1)	श्रम एवं समाज कल्याण-	1 पद
(2)	समाजशास्त्र-	1 पद
(3)	भौतिकी-	1 पद
(4)	रसायनशास्त्र-	1 पद
(5)	वनस्पति शास्त्र -	1 पद
(6)	जन्तु विज्ञान-	1 पद
(7)	गणित-	1 पद
	कुलः-	7 पद

Attested
प्राचार्य
मजहरुल हक डिग्री महाविद्यालय
तरवारा (सिवान)

उपरोक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

1. स्वीकृत किये गये पदों हेतु पूर्व या वर्त्तमान का किसी प्रकार का वित्तीय भार सरकार वहन नहीं करेगी। सरकार कॉलेज को विभागीय संकल्प सं0 1846 दिनांक 21.11.08 के तहत उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर ही अनुदान देगी। वह अनुदान भी विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार तथा सरकार द्वारा उसका अनुमोदन होने की स्थिति में देय होगा।

2. उपरोक्त पद-सृजन के बाद इस कॉलेज में 18 पूर्व से स्वीकृत पदों (16 कला एवं 2 वाणिज्य) के विरुद्ध 45 शिक्षक कार्य कर रहे है। अतः उन्हें कला संकाय में 18 पद विज्ञान संकाय में 5 पद तथा वाणिज्य संकाय में 2 पद यानि कुल 25 पद छोड़कर शेष 20 शिक्षकों की नियुक्तियाँ कॉलेज प्रबंधन रद्द करें और उन्हें सेवा से हटायें। साथ ही शिक्षकेत्तर कर्मी के कोई नया पद की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। कॉलेज में 39 पद के विरुद्ध 50 शिक्षकेत्तर कर्मी कार्य कर रहे है। अतः कॉलेज प्रबंधन 11 शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्तियाँ रद्द करें और उन कर्मियों को सेवा से हटायें। अन्यथा महाविद्यालय को कोई भी अनुदान देय नहीं होगा।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 14/स 1-21/97 — 1976 पटना,दिनांक- 18.6.10

प्रतिलिपि: प्राचार्य, मजहरूल हक डिग्री महाविद्यालय, तरवारा (सीवान) को सूचनार्थ प्रेषित।

17.6.10
(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

Attested
प्राचार्य
मजहरुल हक डिग्री महाविद्यालय
तरवारा (सिवान)